भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1853
जिसका उत्तर सोमवार 19 दिसम्बर, 2022
28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

इस्पात संयंत्रों का निजीकरण

1853. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का निजीकरण करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कामगारों के विरोध के बावजूद इस्पात संयंत्रों के निजीकरण के क्या कारण हैं; और

(ग) निजीकरण किए जाने के लिए प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) एवं (ग) : इस समय, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के आधार पर, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) (छत्तीसगढ़); सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु); और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) (आंध्र प्रदेश) के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) : इस्पात संयंत्रों के रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण से इष्टतम उपयोग हेतु पूंजी, क्षमता का विस्तार, प्रोद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन परिपाटियों का समावेश होगा। इसके परिणामस्वरुप उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी। यदि इन उपायों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों की वास्तविक क्षमता को हासिल किया जाता है तो रोजगार अवसरों और विकास में काफी योगदान होगा। इसके अलावा, रणनीतिक बिक्री के निबंधन एवं शर्तों पर निर्णय लेते समय, मौजूदा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की न्यायसंगत चिंताओं का निवारण शेयर खरीद करार (एसपीए) में उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है।

*****